प्रश्न 1– इस नीति के क्या उद्देश्य है?

उत्तर – समूह आधारित उत्पादन एवं कृषि प्रसंस्करण की अवधारणा को प्रोत्साहित करना। फार्म स्तर पर आधारभूत ढांचे (Infrastructure) का संवर्धन। सुदृढ़ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए अग्रवर्ती–पश्चवर्ती कड़ी (Backward-Forward Linkage) को प्रोत्साहित करना।

प्रश्न 2 – यह नीति किन क्षेत्रों में किसानों को प्रोत्साहित करती है?

उत्तर – यह नीति कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं अन्य संबद्ध क्षेत्र में हानियो को कम करने एवं मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के साथ कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना और मानव संसाधनों के विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। यह नीति राज्य में उत्पादित कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करेगी।

प्रश्न 3 – इस नीति के लाभ कब से प्रारंभ किये गए एवं कब तक उपलब्ध रहेंगे?

उत्तर – यह नीति दिनांक 12 दिसंबर, 2019 को लागू की गयी एवं इसकी अवधि 31 मार्च, 2024 तक मान्य होगी एवं वर्ष 2021 में इसकी समीक्षा की जायेगी।

प्रश्न 4 – इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या–क्या है?

उत्तर – आधारभूत ढांचागत सुविधाओं का विकास हेतु पूंजी निवेश एवं ब्याज अनुदान, राज्य में उत्पादित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, समूह (Cluster) विकास, कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी (FPO/FPC) का प्रसार, पशुधन उत्पादों का प्रचार–प्रसार, गुणवत्तायुक्त उत्पादों का प्रसार, ''शून्य दोष शून्य प्रभाव नीति'' (Zero Effect Zero Defect) को अपनाना, बाजारों का विस्तार, ऑनलाईन मंडियां, राज्य ब्रांड का प्रोत्साहन, भौगोलिक संकेतक (Geographic Indication) को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, कौशल विकास, विधुत प्रभार पुनर्भरण/सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु अनुदानः

प्रश्न 5 – इस नीति के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कौन–कौन पात्र है?

उत्तर – कोई भी व्यक्ति, कृषको/उत्पादकों के समूह, कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी जो संबंधित कम्पनी अधिनियमों/ सहकारी समिति अधिनियम/सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और जिसमें किसान सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 हो, भागीदारी/स्वत्वधारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म, कम्पनियॉ, निगम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियॉ, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में संलिप्त सहकारी विपणन संघ,

प्रश्न 6– इस नीति के तहत किसानों को किस प्रकार एवं कितना अनुदान उपलब्ध है?

उत्तर – कृषकों एवं उनके उत्पादक संगठन/कम्पनी को सभी प्रकार की पात्र इकाईयों के लिये पूंजीगत अनुदान लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1 करोड़ रू. तथा इसके अतिरिक्त 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज अनुदान देय है।

प्रश्न 7 – पूंजी निवेश अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पात्र व्यक्तियों को सहायता क्या अनुदान देय होगा?

उत्तर – प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य पर किये गये व्यय पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 रूपये लाख तक की अनुदान देय है।

प्रश्न 8 – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित मेगा फूड पार्क तथा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में सहायता क्या प्रावधान है?

उत्तर– भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के अलावा प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 10 प्रतिशत की दर से कृषकों को एवं उनके संगठनों को अधिकतम रुपये 100 लाख एवं अन्य उद्यमियों को अधिकतम रूपये 50 लाख तक का अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान देय होगा। इन इकाईयों को ब्याज अनुदान का भी लाभ देय है।

प्रश्न 9 – ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र नाशवान उत्पादों – फल एवं सब्जियों के प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/एकत्रीकरण केन्द्र को भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार इस नीति में किस प्रकार सहायता उपलब्ध कराती है?

उत्तर – राज्य सरकार ने भी राज्य के फल–सब्जियों के व्यापार को बढ़ावा देने व कृषकों को आधुनिक बाजार सुविधा का लाभ देने हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के अलावा प्लांट मशीनरी एवं सिविल कार्य की लागत का 10 प्रतिशत की दर से कृषकों को एवं उनके संगठनों को अधिकतम रुपये 100 लाख एवं अन्य उद्यमियों को अधिकतम रुपये 50 लाख तक का अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान देय होगा। इन इकाईयों को ब्याज अनुदान का भी लाभ देय है।

प्रश्न 10– इस नीति के तहत अन्य उद्यमियों की कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को सावधि ऋण पर पूंजी अनुदान के अतिरिक्त क्या ब्याज अनुदान भी उपलब्ध है?

उत्तर – सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम रुपये 50 लाख की सीमा तक देय है।

प्रश्न 11– इस नीति के तहत अन्य उद्यमियों की कृषि संरचना परियोजना को अवधि ऋण पर पूंजी अनुदान के अतिरिक्त क्या ब्याज अनुदान भी उपलब्ध है?

उत्तर – सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष तक या ऋण वापसी की तिथि तक जो भी पहले भी हो, अधिकतम 100 लाख राशि रुपये की सीमा तक ब्याज अनुदान देय है।

प्रश्न 12 – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों को क्या अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध है?

उत्तर – शत प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी की इकाईयों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय है। इसी प्रकार युवाओं को कृषि उद्योग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय है।

प्रश्न 13– टी.एस.पी. या पिछड़े जिलों में लगाये जाने वाले उद्योगों को क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध है?

उत्तर – सावधि ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय है।

प्रश्न 14– भाड़ा अनुदान योजना के अंतर्गत कौन–कौन से निर्यात मार्ग पर अनुदान उपलब्ध है?

उत्तर – हवाई एवं समुद्री दोनों मार्गों से निर्यात पर परिवहन अनुदान देय है।

प्रश्न 15– भाड़ा अनुदान योजना के तहत किन–किन कृषि उत्पादों के निर्यात पर अनुदान दिया जायेगा ?

उत्तर– ताजा फल, सब्जी एवं फूल, मसालें, प्रसंस्कृत एवं अप्रसंस्कृत कृषि उत्पाद

प्रश्न 16 – हवाई मार्ग द्वारा किन वस्तुओं के निर्यात पर एवं कितना अनुदान देय है?

उत्तर– फल, सब्जी एवं फूलों के हवाई मार्ग से निर्यात करने पर रुपये 5.00 प्रति किलो या वास्तविक भाड़े का 20 प्रतिशत। यह अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष, प्रति लाभार्थी, अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगा।

प्रश्न 17 – फल, सब्जी एवं फूलों के समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात पर कितना अनुदान देय है?

उत्तर – सामान्य कंटेनर से निर्यात किये जाने पर – 500 रुपये प्रति टन बंदरगाह तक सतही परिवहन के लिए एवं 500 प्रति टन गंतव्य बंदरगाह तक पृथक–पृथक रूप से परिवहन लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम की सीमा में देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगा।

रीफर कंटेनर से निर्यात किये जाने पर – 700 रुपये प्रति टन बंदरगाह तक सतही परिवहन के लिए एवं 1000 रू. प्रति टन गंतव्य बंदरगाह तक पृथक–पृथक रूप से परिवहन लागत का 25 प्रतिशत कंटेनर के लिए निर्धारित अधिकतम की सीमा में देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगा।

प्रश्न 18 – मसालें जैसे – जीरा, धनिया, मेथी, अजवाईन आदि पर कितना अनुदान देय है?

उत्तर –मसालों के निर्यात किये जाने पर सतही परिवहन पर 800 रुपये प्रति टन बंदरगाह तक एवं समुद्री परिवहन पर 800 रू. प्रति टन गंतव्य बंदरगाह तक पृथक–पृथक रूप से परिवहन लागत का 25 प्रतिशत कंटेनर के लिए निर्धारित अधिकतम की सीमा में देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 15 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगा।

प्रश्न 19 – क्या प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, खाद्य उत्पादों, डेयरी उत्पाद, शहद आदि के निर्यात पर भी अनुदान उपलब्ध है, यदि हो तो कितना?

उत्तर – राज्य सरकार में प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मसालों की भांति ही इस प्रकार के समग्र प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात पर 800 रुपये प्रति टन बंदरगाह तक सतही परिवहन के लिए एवं 800 रू. प्रति टन गंतव्य बंदरगाह तक समुद्री परिवहन के लिए पृथक–पृथक रूप से परिवहन लागत का 25 प्रतिशत कंटेनर के

लिए निर्धारित अधिकतम की सीमा में देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 15 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगा।

प्रश्न 20 – क्या खेत में उत्पादित कच्चे माल के निर्यात पर भी अनुदान है?

उत्तर – जी हां, राज्य सरकार द्वारा निर्यात क्षेत्र में सभी प्रकार सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात किये जाने पर – सतही परिवहन के लिए 500 रुपये प्रति टन बंदरगाह तक एवं समुद्री परिवहन के लिए 500 रू. प्रति टन गंतव्य बंदरगाह तक पृथक–पृथक रूप से परिवहन लागत का 25 प्रतिशत कंटेनर के लिए निर्धारित अधिकतम की सीमा में देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगा।

प्रश्न 21 – राज्य में बहुत से कृषक जैविक खेती कर रहे है एवं उनके निर्यात को अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता रहती है, योजना में इसके लिए क्या प्रावधान है?

उत्तर – जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक रुप से उत्पादित निर्यातित वस्तु के प्रकार के अनुसार 600–1500 रूपये प्रति टन की दर से उक्त सभी अनुदान परिवहन लागत का 40 प्रतिशत प्रति कंटेनर के लिए निर्धारित अधिकतम की सीमा में देय होगा। अनुदान 20.0 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगा।

प्रश्न 22– अंतर्देशीय दूरस्थ बाजारों तक सतही परिवहन पर देय भाड़ा अनुदान किस प्रकार रहेगा?

उत्तर – फल फूल एवं सब्जियों को दूसरे राज्यों में तथा 300 किमी से अधिक की दूरी तक विपणन हेतु सतही परिवहन करने पर रेल भाड़े के आधार पर फलित भाड़े या वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। यह अनुदान प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम रुपये 15 लाख अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

प्रश्न 23 – इस नीति के अंतर्गत कौनस–कौनसे पात्र क्षेत्र शामिल है?

उत्तर – प्रसंस्करण क्षेत्र में फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, मसालों का प्रसंस्करण अनाज/अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद, तिलहन उत्पाद प्रसंस्करण, चावल और आटा पिसाई, दाल प्रसंस्करण, ग्वार प्रसंस्करण, कपास प्रसंस्करण, अरण्डी तेल निष्कर्षक, हर्बल

(जड़ी–बूटी) औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद, लघु वन उपज प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, मांस (गौ मांस के अलावा), कुक्कुट एवं मत्स्य प्रसंस्करण, पशु आहार, मुर्गी दाना, मछली दाना आदि उत्पाद।

प्रश्न 24 – इस नीति के अंतर्गत कौनसी–कौनसी ढांचागत परियोजनाएं शामिल है?

उत्तर – इस नीति के अंतर्गत एकत्रीकरण/संग्रह केन्द्र, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य विकिरणन प्रसंस्करण संयत्र, शीत श्रृंखला, पैक हाउस, सरकार द्वारा घोषित फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण समूह, रीफर वैन आदि ढांचागत परियोजनाएं शामिल है।

प्रश्न 25 – इस नीति के अंतर्गत कौनसे–कौनसे क्षेत्र अपात्र है अर्थात किन कार्यों के लिए अनुदान देय नही है?

उत्तर – तंबाकू उत्पाद, तंबाकू मिश्रित पान मसाला, गुटखा एवं अन्य नशीले पदार्थ में किया गया निवेश, बॉटलिंग या पैकेजिंग संयंत्र, गौ मांस प्रसंस्करण इकाई शीतल पेय के विनिर्माण, खनिज पानी लकडी का विनिर्माण या आकार देना, सजावटी/उपष्कर निर्माण (Furniture) और लकड़ी व कॉर्क के उत्पादों का निर्माण।

प्रश्न 26 – पूंजी निवेश अनुदान हेतु अपात्र व्यय क्या–क्या है?

उत्तर – पूंजी निवेश अनुदान हेतु अपात्र व्यय निम्नलिखित है–

1. जमीन की कीमत एवं व उसके विकास पर किया गया व्यय
2. प्राथमिक क्रियाकलापों पर किया गया व्यय (Pre operative expenses)
3. सीधे उत्पादन प्रक्रिया से असम्बद्ध निर्माण कार्य के विभिन्न मदों पर व्यय

प्रश्न 27 –योजना के संचालन का तंत्र किस प्रकार है?

उत्तर – योजना के संचालन की द्विस्तरीय – जिला एवं राज्य, व्यवस्था है।

प्रश्न 28 –क्या जिला स्तर पर भी योजना के संचालन का तंत्र मौजूद है?

उत्तर – हॉ, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अक्ष्यक्षता में जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति कार्यरत है। कृषि विपणन विभाग के खण्ड स्तरीय क्षेत्रीय आयुक्त/उप निदेशक इस समिति के सदस्य सचिव है।

प्रश्न 29 – जिला स्तरीय समिति में और कौन–कौन सदस्य है?

उत्तर – जिला स्तरीय समिति में अन्य विभागों – उद्योग, कृषि, उद्यानिकी, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, केन्द्रीय सहकारी बैंक आदि इसके सदस्य हैं।

प्रश्न 30 –राज्य स्तर पर योजना का संचालन तंत्र किस प्रकार से है?

उत्तर – अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव कृषि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति गठित है एवं प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड इसके सदस्य सचिव है। राज्य सरकार द्वारा विपणन बोर्ड को योजना के संचालन हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया है तथा योजना के संचालन में सहयोग हेतु बोर्ड स्तर पर एक प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट यूनिट गठित है।

प्रश्न 31 – राज्य स्तरीय समिति में और कौन–कौन सदस्य है?

उत्तर – राज्य स्तरीय समिति में अन्य विभागों – वित्त, राजस्व, आयोजना, सहकारिता, उद्योग, कृषि, उद्यानिकी, नाबार्ड, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक आदि विभागों के मुखिया या उनके प्रतिनिधि सदस्य हैं।

प्रश्न 32 – पूंजी निवेश अनुदान का संक्षिप्त विवरण किस प्रकार है?

उत्तर –

श्रेणी	अनुदान दर	अनुदान सीमा	विशेष विवरण
1 पूंजी निवेश अनुदान (Capital Investment Subsidy)			
(i) कृषक या उनके संगठन	50 प्रतिशत	100	अतिरिक्त अनुदान देय नहीं
ii कृषक या उनके संगठन के अलावा अन्य उद्यमी	25 प्रतिशत	50	
2 अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान			
(i) कृषक या उनके संगठन	10 प्रतिशत	100	केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मेगा फूड पार्क एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में स्वीकृत परियोजनायें अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान के लिए पात्र होगी।
(ii) कृषक या उनके संगठन के अलावा	10 प्रतिशत	50	

प्रश्न 33 – विद्युत संबंधी रियायते एवं सौर ऊर्जा का अनुदान किस प्रकार है?

उत्तर –

i. **विद्युत प्रभार अनुदानः** इस नीति के तहत पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाली इकाईयों को 1 रू. प्रति किलो वाट की दर से अधिकतम 2 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक विद्युत प्रभार का पुनर्भरण उपलब्ध है।

ii. **सौर ऊर्जा अपनाने पर वित्तीय सहायताः** इस नीति के अंतर्गत पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाले उद्यमियों को सौर ऊर्जा सयंत्र की लागत के 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता/पूंजी अनुदान देय होगा।

iii. एक उद्यम व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू करने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में, अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा में, उक्त बिंदु (i) तथा (ii) में उल्लेखित दोनों सहायता का लाभ ले सकता है।

iv. उद्यम जो परियोजना आरंभ होने के बाद सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करता है वह पैरा (ii) के अन्तर्गत विकल्प देते समय पूर्व में भुगतान किये गये विद्युत प्रभार अनुदान को घटाकर शेष सहायता राशि के लिए पात्र होगा।

प्रश्न 34 – वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र/परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया किस प्रकार है?

उत्तर –

1. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को वेब–लिंक rajkisan.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आवेदन हेतु आधार–कार्ड से लॉगइन करना होगा।

2. पंजीकरण के पश्चात् आवेदक को आगे के कॉलम व पृष्ठों में चाही गई सूचना भरनी हैं।

3. अगला पृष्ठ शुरु करने से पूर्व प्रत्येक पृष्ठ की सूचना को सुरक्षित (save) करना होगा।

4. बैलेन्स शीट/वार्षिक प्रतिवेदन/क्रय या रोजगार संबंधी आंकड़े केवल वर्तमान में मौजूद उद्यमी द्वारा ही भरे/प्रस्तुत किये जाने हैं।

5. सभी दस्तावेंज/सूचनाए जहॉ भी अपलोड किये जाने हैं विहित साइज में ही करें।

6. सभी सूचनाएं सफलता पूर्वक भरने के पश्चात् भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिन्ट प्राप्त करे।

प्रश्न 35 – ऑनलाईन आवेदन पश्चात् अनुदान पत्रावली कहां जमा करायी जायेगी?

उत्तर – आवेदन पत्र (**परिशिष्ट–iv** के अनुसार) पर अपनी पासपोर्ट साईज फोटो लगाते हुए सभी वांछित दस्तावेजों (**परिशिष्ट–v** के अनुसार) की स्वप्रमाणित प्रतियॉ एवं जहॉ आवश्यक हो नोटेरी से सत्यापित कराकर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी स्थानीय मंडी समिति के सचिव को ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 36 – अनुदान कब और किस प्रकार वितरित किया जायेगा?

उत्तर – अनुदान की प्रथम किस्त (40 प्रतिशत) जारी करना :–

i. प्रार्थना–पत्र एवं उपयुक्त दस्तावेजों तथा योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरुप संबंधित स्वीकृति समिति पात्र अनुदान राशि का निर्धारण करेगी।

ii. पात्र अनुदान की 40 प्रतिशत राशि अग्रिम राशि प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत एवं जारी की जायेगी तथा ऋण प्रदाता बैंक द्वारा SRFA जो परियोजना से संबंधित प्रमोटर के सावधि ऋण से जुड़ा हैं में जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा जमा हेतु प्रेषित की जायेगी।

अनुदान की द्वितीय किस्त (40 प्रतिशत) जारी करना :–

अनुदान की दूसरी किस्त राशि परियोजना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना सुनिश्चित करने के बाद उद्यमी द्वारा दिशानिर्देशों में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी की जायेगी।

अनुदान की तीसरी व अतिंम किस्त (20 प्रतिशत) जारी करना :–

i प्रमोटर को अनुदान राशि की तीसरी किस्त जारी करने हेतु **परिशिष्ट– (vii)** में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा – वास्तुकार/मूल्य निर्धारक के प्रमाण पत्र, बैंक प्रमाण पत्र, चार्टेड अकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/– रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल के स्टाम्प पेपर पर प्रमोटर/उद्यमी का शपथ–पत्र, कृषि उपज मंडी समिति के अनुज्ञा पत्र की प्रति (जहां आवश्यक हो)।

ii आवेदन उक्त दस्तावेजों सहित प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव, अधिशाषी अभियंता (कृषि विपणन बोर्ड), मंडी सचिव एवं बैंक प्रतिनिधि की संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

iii जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त निरीक्षण कमेटी (JIC) की रिपोर्ट के पश्चात सक्षम समिति के निर्णय के अनुसार पात्र अनुदान राशि की तीसरी व अन्तिम किस्त जारी की जावेगी।

प्रश्न 37 – पूंजी निवेश अनुदान हेतु अपात्र व्यय क्या–क्या है?

उत्तर – निर्माण कार्य के निम्न मदों पर किये गये व्यय अनुदान हेतु अपाात्र है –

कम्पाउंड वाल, उपागमन सड़क/आंतरिक सड़कें, प्रशासनिक या आवास भवन या विश्राम घर/अतिथि गृह, जल–पान गृह, मजदूर विश्राम घर/आवास गृह, सुरक्षा/गार्ड रूम/बाड़े, सलाहकारी फीस, गैर–तकनीकी कार्य जो कूल चैन भंडारण संरचनाओं या उत्पादन इकाईयों से सीधे संबंधित न हो/जुड़े हो

संयंत्र एवं यंत्र के निम्न मदों पर किया गया व्यय

मार्जिन मनी, क्रियाशील पूंजी, फुटकर व्यय या ईंधन, उपभोज्य, अधिशेष एवं भंडार सामग्री, वातानुकूलित डक्टिंग, कार्यालय संबंधी फर्नीचर जो उत्पादन से सीधा न जुड़ा हो, कंप्यूटर, रीफर ट्रक/वाहन, रेफ्रीजरेटर/इंसुलेटिड वाहन इत्यादि के अलावा परिवहन वाहन, पुराने/उपयोग में लाई गयी मशीनें, सभी प्रकार के सेवा शुल्क, मशीनों पर रंग–रोगन करना, क्लोज सर्किट टीवी तथा औजारों से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था, सलाहकारी शुल्क, लेखन सामग्री, सयंत्र एवं यंत्र जो कूल चेन या भंडारण संरचनाओं या उत्पादन इकाई से सीधे जुड़े नहीं हो, अग्निशमन यंत्र, मक्खी पकड़ने का यंत्र, हाथ धोनें, कपड़ा धोने आदि की सुविधा जो उत्पादन प्रक्रिया से सीधे नहीं जुड़े हो, ठीक किये गये या नवीनीकृत सयंत्र एवं यंत्र

प्रश्न 38 – परियोजना पूर्ण करने की अधिकतम अवधि कितनी है?

उत्तर – रूपये 100 लाख तक की परियोजनाओं को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 18 माह तथा अधिक लागत की परियोजनाओं की अधिकतम अवधि 24 माह होगी।

प्रश्न 39 – परियोजना पूर्ण करने की अवधि की गणना कब से प्रारंभ की जावेगी?

उत्तर –अवधि की गणना सावधि ऋण की प्रथम किस्त जारी होने की तिथि की जायेगी।

प्रश्न 40 – परियोजना पूर्ण करने की अधिकतम अवधि कितनी है?

उत्तर – उपयुक्त आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा 6 माह का अवधि विस्तार अनुमत होगा परन्तु अधिकतम अनुमत अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से पात्र अनुदान राशि की कटौती की जायेगी। इससे अधिक विस्तार पर जिला स्तरीय समिति की अभिशंषा पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचारण किया जा सकता है परन्तु अधिकतम अनुमत अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक माह हेतु 1 प्रतिशत अनुदान राशि की कटौती की जायेगी।

प्रश्न 41 – स्वयं के पास भूमि नहीं होने पर क्या लीज्ड/किराये के भूखण्ड पर लगाई जाने वाली इकाई भी अनुदान हेतु पात्र होगी ?

उत्तर – अगर परियोजना लीज पर लिए गए भूखण्ड पर स्थापित की जानी हैं तो लीज अवधि कम से कम 10 वर्ष की होगी तथा लीज डीड का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 42 – वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज तथा रीफर वेन के लिए भण्डारण क्षमता की गणना के क्या मानदण्ड होंगे?

उत्तर – उक्त प्रकार की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए विशिष्टियॉ योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के परिशिष्ट (XX) के अनुसार होंगे जो कि संक्षेप में निम्नानुसार है –

भण्डारण क्षमता की गणना :–

- भण्डार अवसंरचना (वेयरहाउस) जिनकी औसत ऊचाई 4.5 मीटर या अधिक हैं, की भण्डारण क्षमता की गणना 1.8 मै.टन प्रति वर्ग मीटर (सतही क्षेत्रफल) के हिसाब से की जायेगी। जिन भण्डार अवसंरचाओ की औसत ऊंचाई 4.5 मीटर से कम हैं, उनकी क्षमता की गणना 0.4 मै.टन प्रति घनमीटर के हिसाब से की जायेगी।
- शीत भण्डारों (कोल्डस्टोरेज) में 3.4 घनमीटर/(120 घनफीट) कक्ष आयतन को एक मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के बराबर मानकर गणना की जायेगी।
- वातानुकूलित परिवहन वाहन के 3.0 घनमीटर /(106 घनफीट) कक्ष आयतन को एक मैट्रिक .टन भराव भण्डारण के बराबर मानकर गणना की जायेगी।
- राईपनिंग चैम्बर (पकाव कक्ष) को 11 घनमीटर कक्ष आयतन को एक मै.टन भण्डारण क्षमता के बराबर मानकर गणना की जायेगी।

प्रश्न 43 – आवेदन पत्र की हार्डकॉपी के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज कौन–कौन से होंगे?

उत्तर – अनुदान दावे के साथ योजनान्तर्गत जारी परिशिष्ट (V) के अनुसार वॉछित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। दस्तावेजों की सूची प्रतिकात्मक है न कि परिपूर्ण, इनमें यथा समय आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दस्तावेजों के सभी फोटो प्रतियां स्व प्रमाणित होनी चाहिये।

प्रश्न 44 – योजना से संबंधित समस्त जानकारी कहां–कहां उपलब्ध हो सकती है?

उत्तर – योजना की विस्तृत जानकारी हेतु राज्य में स्थित सभी कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त/उपनिदेशकों, मंडी समितियों, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के खण्ड स्तरीय कार्यालयों एवं विपणन बोर्ड जयपुर के मुख्यालय पर स्थित फसलोत्तर प्रबंधन शाखा से योजना संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 45 – क्या योजना की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है?

उत्तर – योजना संबंधी समस्त जानकारी, दस्तावेज, आवेदन पत्र एवं प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु विभागीय ई–मेल rsamb@rajasthan.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।